कामकाजी किशोरों द्वारा याचिका

राज्य से ध्यान और बाल अधिकारों के अनुकूल प्रतिक्रिया की मांग करना

30 अप्रैल, बाल श्रम दिवस, भारत

हम काम कर रहे बच्चों की यूनियनों / संगठनों के रूप में, मांग करते हैं कि सभी अधिनियम, नीतियां, दिशानिर्देश और कार्यक्रम जिनका उद्देश्य कामकाजी बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखना है, को हमारी कठिन और विविध वास्तविकताओं के प्रति उदार और संवेदनशील होना चाहिए। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में हमें सुना और समझा जाना चाहिए। सभी बच्चों और किशोरों की तरह, हम भी आज नागरिक हैं।

20 नवंबर, 2021 को बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 30 साल[1] के मौके पर हम, देश के 8 राज्यों के कामकाजी बच्चे और किशोर एक राष्ट्रीय समारोह में एक साथ आकर हमारे अधिकारों पर चर्चा, हमारी मांगों को रखा और हमारी आकांक्षाओं को याद करें|

'**बच्चे: बदलाव के राजदूत**' के इस कार्यक्रम 'में नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कामकाजी बच्चों और किशोरों के यूनियनों और संगठनों के प्रतिनिधि थे। हमने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बात की, खासकर COVID-19 के संदर्भ में और उसके परे। हमने रेखांकित किया कि कामकाजी बच्चों और किशोरों के मुद्दों पर कभी वो ध्यान नहीं गया है जो दिया जाना चाहिए और जिसकी सख्त ज़रुरत है। मामले को बदतर बनाते हुए, COVID - 19 ने लंबे समय से चली आ रही कई प्रणालीगत समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जिससे हम और हमारे समुदाय गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

हमारी यूनियनों और बाल नेतृत्व वाले संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में, हमने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा की। उन के आधार पर, हमने यह याचिका तैयार की है जिसमें हम अपने अधिकारों और हकों की मांग करते हैं। हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर रहे हैं, बाल श्रम दिवस, 30 अप्रैल, 2021 के दिन, वो दिन जो हमारे अधिकारों को बनाए रखने के लिए है[2]। हमारी याचिका सरकार को संबोधित है, क्योंकि हमारे अधिकारों की प्राप्ति के लिए वह प्रमुखतः जिम्मेदार है।

---

[1] इस कार्यक्रम को कंसर्नड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन, www.concerenedforworkingchildren.org द्वारा समन्वयित किया गया था

[2] 30 अप्रैल, मई दिवस के एक दिन पूर्व की तारीख़, को पहली बार 1990 में, भीम संघ (भारत के पहले कामकाजी बच्चों के संघ) द्वारा बाल श्रम दिवस के रूप में चिह्नित किया गया था।

याचिका:

हम कामकाजी बच्चों की यूनियनों / संगठनों के रूप में मांग करते हैं कि सभी अधिनियम, नीतियां, दिशानिर्देश और कार्यक्रम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखना है जो हमारी कठिन और विविध वास्तविकताओं के प्रति उदार और संवेदनशील हों। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में हमें सुना और समझना चाहिए। सभी बच्चों और किशोरों की तरह, हम भी आज नागरिक हैं।

हम मांग करते हैं कि सरकार हमारी निम्नलिखित सिफारिशों पर ध्यान दे और उन पर तत्काल और ईमानदारी से काम करे:

COVID महामारी में जीने का संघर्ष-

- हम बच्चों को अस्पताल जाने में डर लगता है| हमारे परिवारों में ज़्यादा परिवारजन है जिसके कारण सामाजिक दुरी बनाए रखना मुश्किल होता है| हमे यह भी चिंता लगी रहती है की अगर हम अस्पताल जाएंग तो घर में परिवारजनों का ध्यान कौन रखेगा? हमे तत्काल सहयोग की ज़रूरत है|

- हमारे शहरो में, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण कुछ शहर में लॉकडाउन का अभी तीसरा हफ्ता चल रहा है| हमे मुफ्त राशन का सहयोग एवं भोजान वितरण की गंभीर ज़रूरत है जो हमे मिलना चाहिए| महामारी की पहली लहर और पिछले लॉडाउन में जो आर्थिक सहयाता मिली थी वह पर्याप्त नहीं थी और कोई निर्दारित तरीके से नहीं हुआ था| उन्हें पर्याप्त एवं जगह के खान पान के अनुसार राशन मिलना चाहिए| यह राशन और दवाइयां घर तक उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमे बाहर जाके अपनी और अपने परिवार किन जान का जोखम नहीं उठाना पड़े|

- सभी नागरिकों का मुफ्त में टीकाकरण होना चाहिए क्योंकि वह हमारा अधिकार है| जैसे की पोलियो का टिका हर गांव, हर शहर में बिना किसी मूल्य प्राप्त हुई थी वैसे कोरोना का टिका भी हर व्यक्ति को मुफ्त में मिलना चाहिए ताकि हर किसी के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए|

- हम सरे 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को एक मेडिकल किट उपलब्ध की जनि चाहिए जिसमे फल, विटामिन, आयरन एवं अन्य तत्त्व की शामिलता हो| साथ ही कोरोना से बचने एवं कोरोना संक्रमित मरीजों का ख्याल रखने का दिशा निर्देश उपलब्ध करायी जनि चाहिए|

- हमे मास्क नहीं होने पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाए और साथ ही पुलिस को ज़िम्मेदारी दी जाए की वह हमे मास्क न होने पर मास्क उपलब्ध कराए| जैसे हमारे कुछ दोस्तों के पास मास्क नहीं था तो उनको अपमानित एवं परेशां किया गया, बजाये उनको मास्क दिलवाने के|

- हाली में हमारे एक राज्य, पश्चिम बंगाल में चुनाव के सन्दर्भ में रैली का आयोजन हुआ था जिसमे हजारो की संख्या में लोग शामिल हुए| ऐसे आयोजनों पे रोक लगनी चाहिए अभी के हालातों को ध्यान में रखते हुए; क्योंकि ऐसे आयोजन मानव जीवन के लिए अति हानिकारक साबित हो सकते है/हो रहे है| अगर चुनाव का होना अति आवश्यक है तो इसके लिए और तरीके अपनाने चाहिए जैसे की मतदान मोबाइल के द्वारा एवं इन्टरनेट के द्वारा हो पाए जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पे इक्कठा न हो|

- हमारी शिक्षा पे महामारी का गहरा असर पड़ा है| ज़ूम एप्लीकेशन एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमो से सीखना, समझना, एवं पढना मुश्किल रहा है| हमारे पास स्मार्ट फोने नहीं है और अगर हमएक स्मार्ट फोने का प्रबंध किसी तरह कर भी ले तो घर में बाकी बच्चो की शिक्षा एक साथ जारी रखना बेहद कठिन होता है| हमारे पास ज़रूरी इन्टरनेट सुविधा नहीं होती जिसके लिए हमे सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त होनी चाहिए| जब फोन और इन्टरनेट दोनों की व्यवस्था सुनिचित कर भी ले तो भी जिस तरीके से पाठ पढाये जाते है, उनको समझना बेहद मुश्किल हो जाता है| हमारा सुझाव है की हमे शिक्षा के साधन एवं किट उपलब्ध कराए जाए जिससे सीखना आसन हो जाए जैसे की ('शैशव गुजरात मॉडल') इसके आलावा सामुदायिक स्थर पे छोटे समूहों में शिक्षा जारी रख पाए जैसे की (विद्यागामा कर्णाटक स्टेट मॉडल) जिससे हमे एवं हमारे सारे बच्चे कम से कम आगे की शिक्षा में कम परेशानी महसूस करे और उनके मूल पेह्लुओ की जानकारी रख पाए|

- सभी बच्चो को लगातार दो साल से पास किया जा रहा है बिना यह सुनिश्चित किये की उनको ज़रूरी ज्ञान एवं कौशल प्राप्त हो| इसके कारण वह आने वाले समय में नौकरी, आगे की पढाई, जैसे जीवन के बिन्दुओ के लिए पर्याप्त तरीके से योग्य नहीं हो पाएंगे| सरकार को यह दौरान 'गैप इयर' (gap year) गोषित कर देना चाहिए था और यह समय लोगों की कौशालता को बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए| इस महामारी के ख़तम होने पे हमे वाही कक्षा को फिरसे जारी रखने की स्वीकृति मिलनि चाहिए|

- लॉकडाउन के कारण हम और हमारे परिवार के पास कोई काम नहीं रहा और इसकी वजह से हमारे पास पर्याप्त खाने के लिए और घर का किराया चुकाने के लिए पैसे की कमी महसूस होती है| इस लिए जब तक महामारी चल रही है तब तक हमे किराया न देने की छूट उपलब्ध होनी चाहिए| तभी हमे अपने सिर के ऊपर की छत छिन जाने के डर से राहत मिलेगी|

बच्चों के लिए सुरक्षा-

- हम सभी, बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि हम किसी भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा या उत्पीड़न से न गुजरे।

- हम, कामकाजी बच्चों और किशोरों, को दंडित और पीड़ित किया जाता है केवल हमारी वास्तविकताओं व् हमारे पृष्ठभूमि के आधार पर, और इसलिए क्योंकि हम काम करते हैं। हम काम करते हैं क्योंकि हमें जीवित रहना है और हमें अपने परिवारों का सहयोग करना होता है। हमें दंडित करने वाले कानून लागू नहीं होने चाहिए।
- सड़कों पर रहने और काम करने के लिए हममें से सभी की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि हममें से बहुतों किशोर कई वयस्कों द्वारा दुर्व्यवहार के विभिन्न रूप अनुभव करते हैं; हमारे शोषणकर्ताओं में वे भी शामिल हैं जिनके लिए हम काम करते हैं।
- सरकार को ऐसे लोगों और एजेंसियों की पहचान करनी चाहिए जो बच्चों को बेचते हैं और हमें सभी प्रकार के शोषण के अधीन करते हैं - और हमें ऐसे संस्थानों में 'सुरक्षित रहने' के लिए निर्देशित नहीं करें।
- सरकार को स्कूलों में, समुदाय में और व्यापक समाज में बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसके सही अर्थ और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

किशोरों के लिए सुरक्षित व्यवसाय-

- कानून किशोरों को सुरक्षित नौकरियों में काम करने की अनुमति देता है। यह हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम अपनी पढ़ाई या अपने परिवारों का समर्थन कर सकने के लिए भी ज़रूरी है। यदि हम काम करने के लिए मजबूर हैं या हम काम करना चुन रहे हैं, तो हमारे रोजगार की जगह सुरक्षित होनी चाहिए - लड़कों, लड़कियों और अन्य जेंडर के बच्चों के लिए। हमारे कार्य स्थानों, औपचारिक और अन्य में, हमें सभी प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से बचाया जाना चाहिए।
- हमारे बिच ऐसे कई किशोर है जिनको किसी भी प्रकार की शिक्षा - औपचारिक या अन्य, प्राप्त नहीं हुई; सरकार को ऐसे किशोरों को सुरक्षित रोजगार प्राप्त कराना चाहिए|
- किशोरों द्वारा किया गया कार्य खतरनाक नहीं होना चाहिए - जैसे पटाखे बनाना, खनन आदि या वह कार्य जहाँ हम शराब और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों के संपर्क में आते हैं। ये हमें स्वीकार नहीं हैं।
- हालांकि किशोरों को केवल सुरक्षित व्यवसायों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि सुरक्षित व्यवसायों की कमी है, हम में से कई खतरनाक काम करने के लिए मजबूर हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किशोरों को सुरक्षित काम में लगाया जाए। उसके लिए हमारे लिए सुरक्षित कार्य के अवसर पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है।
- हम केवल सुरक्षित काम के लिए मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ काम करना शामिल है जो अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए,

काम की परिस्थितियों को संशोधित करके या सुरक्षा प्रदान करके। हालांकि, यह बात खतरनाक काम पर लागू नहीं होती है।

- वह किशोर जो देर रात व जल्द सुबह के काम से जुड़े हुए है उन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए।
- हमें ऐसे रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ पाए और हमारा विकास हो पाए। सिलाई, बिजली का काम, कारपेंट्री, वेंडिंग, मार्केटिंग, खानपान, होटल मैनेजमेंट, आदि जैसे कार्य सुरक्षित क्षेत्रों में और इन कामो का ज़रूरी प्रशिक्षण मिल पाना बहुत सहायक होगा।
- वर्तमान में, कई किशोर, खासकर लड़कियाँ, उन जगहों पर काम करती हैं जहाँ हमारी सुरक्षा बहुत कम है। यदि हम औपचारिक कार्य स्थल पर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थितियों में, बल द्वारा हमें वहां से हटाने के बजाय, चाइल्ड लाइन जैसी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की वह हमारे कार्यस्थल का निरीक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि हम इन जगहों पे सुरक्षित हैं। किसी भी उल्लंघन के मामले में, अधिकारियों को सतर्क किया जाना चाहिए और कार्य स्थानों पर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कार्यस्थल में लड़कियों का संरक्षण और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत, हम 16-18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए रोजगार के सुरक्षित अवसर होने चाहिए। उदाहरण के लिए, हम सब्जियां उगा सकते हैं, खेती और अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते हैं जो हमारी उम्र और क्षमताओं के लिए उपयुक्त हैं। MNREGA कार्यक्रम पंचायतों और समुदाय के सदस्यों की निगरानी के साथ गांवों में होता है - ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे हममें से कई ऐसे युवाओं को मदद मिलेगी, जो अब शिक्षा जारी नहीं रख पा रहे या जिनको स्कूल छोड़ना पड़ा था; क्यूंकि अब वह भी कमाई के साथ स्कुल जा पाएंगे|
- अत्याधिक जरूरत के वक्त, जैसे अभी COVID के कारण, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हम अपने नियोक्ता से पैसा उधार ले सकें और उधार चुकाने के बदले में काम कर सकें। यह एक आवश्यकता है क्योंकि हमें कहीं और उधार नहीं मिल पाता है। या हमारे पास कम ब्याज पर लोन प्राप्त करने का विकल्प होने चाहिए।
- हमारे पास लोन लेने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए और उइ चुकाने के लिए हमारे वेतन से मासिक किश्त नुमा एक हिस्सा काटा जा सकता है। सरकार हमें EMI की सुविधाएं प्राप्त करवाए। इस तरह हम अपने पैसो का सही तरीके से ध्यान एवं उपयोग कर पाएंगे। उन्हें हमें बैंक खातों के इस्तेमाल और पैसे संभालने के तरीकों के बारे में सलाह देनी चाहिए।
- हममें से कई युवा अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं| सरकार को हमे कम ब्याज पर लोन देना चाहिए और हमें अपना काम कैसे चलाना है उसका मार्गदर्शन कराना चाहिए।

- काम हमारे कौशल के अनुसार हमें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमने गैराज से जुड़ा थोडा काम सीख लिया है तो यह हमारे लिए लाभदायक होगा क्योंकि हमे उसी काम में प्रशिक्षण मिल पाए ताकि काम करने के बेहतर अवसरों प्राप्त हो पाए। इससे हमारी कुशलता बेहतर हो पाएगी एवं हमारी कमी में भी बढ़त हो पाएगी|
- हमारे कार्यस्थल में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। जब हम शौचालय इस्तेमाल करने के लिए ब्रेक लेते हैं तो हमें धमकी नहीं दी जाए। गांवों में, हमें सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता है।
- यदि हमारे काम करने के घंटे आम तौर से ज्यादा हो तो हमें परिवहन की सुविधा भी प्रदान कि जानी चाहिए। जैसे छात्रों को सार्वजनिक परिवहन पे छुट मिलती है वैसे हमें भी मिलनी चाहिए।
- हमारे काम का समय निर्धारित होना चाहिए। यदि हम कुछ अवसरों पर अधिक समय तक काम करते हैं, तो हमें अतिरिक्त भुगतान दिया जाना चाहिए।
- हमें अपने कार्यस्थल पर अच्छा व समय पर भोजन दिया जाना चाहिए|
- हमें नौकरियों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभावी ढंग से काम करें।
- हमें अपने नियोक्ताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई गलती करते हैं, तो नियोक्ताओं को हमें गलतियां सुधारने का अवसर देना चाहिए और हम पे चिल्लाना या हमें धमकाना नहीं चाहिए। सरकार और हमारे साथ काम करने वाले संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता किशोरों के लिए सुरक्षित कार्य के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें।
- जब वेतन भुगतान किया जाता है तो उन्हें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम वेतन मिलता है पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी किशोरों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि हम किसी भी अन्य वयस्क के बराबर काम कर रहे हैं, तो हमें वहां पर भी मजदूरी समता होनी चाहिए।

व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा-

- वर्तमान में, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों में केवल कौशल प्रशिक्षण और श्रम-गहन प्रशिक्ष विकल्प शामिल हैं और ये औपचारिक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त योगदान नहीं देते हैं। पेशेवर प्रशिक्षण विकल्पों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।
- सरकार को युवा किशोरों और युवाओं के लिए उद्यमिता में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने होंगे, उदाहरण के लिए सिलाई, ब्यूटीशियन कौशल, घर पर छोटे उत्पादों का निर्माण करना आदि। हम तब स्वयं के रोजगार सफलता पूर्वक कर सकेंगे बिना किसी अन्य पर निर्भर हुए, अपने लिए जीवन बना सकते हैं और अपने परिवारों को सहयोग कर सकते हैं।
- सरकार को पेशेवर प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण करना चाहिए, जहाँ हम नि: शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें - विशेष रूप से गंभीर कठिनाइयों का सामना करने वाले समुदायों के किशोरों के लिए। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे स्किल इंडिया 'लेकिन हम तक उन सुविधाओं की पोहोच नहीं है। 10 वीं कक्षा

के बाद, या पहले भी, जैसे कि नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) में कहा गया है कि हमारे पास पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर होने चाहिए और वह पर्याप्त ढंग से लागू भी होना चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, हमारे अस्तित्व की जरूरतों का सामना करने के लिए वेतन / छात्रवृत्ति / सब्सिडी होना बहुत उपयोगी होगा।

- ❖ हमारे प्रशिक्षण के अवसरों को लिंग रूढ़ियों के आधार पर उनकी रचना नहीं कि जानी चाहिए। इसके बजाय, उन्हें अपनी रुचि, आकांक्षाओं और क्षमताओं के आधार पर व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए सभी लिंगों के किशोरों के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।
- ❖ राष्ट्रीय संस्था ओपन स्कूलिंग (NIOS) में व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। हालाँकि, इसका शुल्क हमारे लिए बहुत अधिक है। इसे बीपीएल परिवारों के बच्चों और किशोरों के लिए कम करना होगा। समाज कल्याण मंत्रालय ने हमें एस.सी, एस.टी और अन्य पिछड़े समुदायों से व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है, जैसा कि वे अकादमिक शिक्षा के लिए करते हैं। हमें NIOS के तहत पूरी की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाना चाहिए। अब तक हमें प्रमाणीकरण के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, लेकिन यह परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में ली जा सकती है, जिसमें हममें से उन सभी को शामिल नहीं किया जाता है जो इन दोनों भाषाओं को नहीं जानते हैं। इसलिए एन.आई.ओ.एस के पास सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए और हमारे लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा लेने की भी सुविधा होनी चाहिए।
- ❖ कुछ बच्चों के लिए, विशेषकर लड़कियों को, उन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जहाँ यह आसानी से सुलभ हो क्योंकि उनके कई परिवार उन्हें स्कूल या व्यावसायिक शिक्षा के लिए विभिन्न शहरों में जाने की अनुमति नहीं देते हैं।
- ❖ यदि हम में से कोई भी व्यावसायिक शिक्षा के साथ अकादमिक परीक्षा देना चाहता है, तो हमें समर्थन, उपचारात्मक शिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

शिक्षा-

- ❖ हमारे बीच ऐसे बच्चे और किशोर हैं-
  - ➢ जो कभी स्कूल नहीं गए;
  - ➢ जब तक COVID हुआ तब तक स्कूल में थे और अब वापस स्कूल नहीं जा पा रहे हैं;
  - ➢ जो शिक्षा और काम को एक साथ करते है और इनमे से कई ऐसे भी है जो खुद की शिक्षा को जारी रख पाए इसलिए काम करते है|
  - ➢ जो पेशेवर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं;
  - ➢ जिन्हें सुरक्षित कार्य विकल्प व काम के स्थल पर शिक्षा मिले ताकि - सीखने के साथ कमाई भी हो पाए|

- सरकार को हमारे प्रत्येक समूह के लिए उनकी ज़रुरतो को समजते हुए योजनाएँ बनानी चाहिए क्योंकि हमारी सबकी ज़रूरतें अलग हैं। इसके अलावा उन कठिन परिस्थितियों की गहरी समझ होनी चाहिए जो हममें से प्रत्येक हमारे विभिन्न हितों और हमारी क्षमताओं के अनुसार हो। इसलिए, शिक्षा में जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं, उनके समाधान हमारे लिए उपयुक्त होने चाहिए। हम सभी को अकादमिक या व्यावसायिक शिक्षा के अलावा हमारे अधिकारों, हमारे शरीर, हमारी आजीविका और हमारे जीवन के बारे में जानकारी की आवश्यकता है।
- हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा हमें जीवन में आगे बढ़ने के अधिक अवसर दे सकती है। साथ ही, सरकार को यह भी पहचानने की जरूरत है कि हममें से कई लोग शिक्षित होना आसान या उपयोगी नहीं मान पाए हैं। उसके कारण हैं और उन कारणों को भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- हम में से बहुत से लोग सीखना और कमाना चाहेंगे 'ताकि हम ऐसे विषयो के बारे में पढ़ सके जिसमे हम अपने अधिकारों के बारे में, काम के बारे में आदि जानकारी रख सकें। 'कमाएँ और सीखे' कार्यक्रम साथ ही शाम के हाई स्कूल, दूर के सीखने वाले स्कूल, अल्पकालिक शिक्षा पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य सिस्टम है जिसके तहत युवा लोगों के लिए सीखने और कमाने का एक साथ प्रयास कर सकते है| यह एकमात्र तरीका है जिससे हममें से कुछ शिक्षा जारी रख सकते हैं।
- हम चिंतित हैं कि नई शिक्षा नीति में कई अच्छे सुझाव हैं, लेकिन यह गरीब बच्चों को छोटी उम्र से व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी निर्देशित कर सकता है, जहाँ अमीर बच्चे अकादमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह भेदभावपूर्ण है। पेशेवर प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा को चुनने के रास्ते में नहीं आना चाहिए - जो हम में से कुछ करना चाहते हैं।
- सरकार को गरीब परिवारों के बच्चों, एकल माता-पिता के घरों से, संकटग्रस्त प्रवासी समुदायों आदि से बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करनी चाहिए। हमारे कुछ सदस्यों को लगता है कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है।
- सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा/ गुणवत्ता प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों को अपने काम को ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रशिक्षित और उन्मुख किये जाने चाहिए। 30:1 के छात्र-शिक्षक अनुपात को सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सरकार को, हम शिक्षा जारी रख पाए उसमे समर्थन देने के लिए, कार्यक्रम डिजाइन करने चाहिए, जिससे हम में से उन लोगों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करना जो प्रवासी समुदायों से आते है, छात्रवृत्ति और शुल्क माफी और स्कूल से संबंधित अन्य सभी लागतों के लिए समर्थन शामिल हो।
- स्कूलों में, हमारे समुदायों के बारे में शिक्षकों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- हमें स्कूलों में शारीरिक दंड या अपमान का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ इस बात पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह हमें सबसे अच्छे तरीके से सीखने में मदद कर पाए और कैसे हमें यह समझा पाए कि हमें क्या सिखाया जा रहा है।
- ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने में हमे कई मुश्किलें आती है| यदिऑनलाइन शिक्षा कुछ समय तक जारी रखना है, तो इसे समझना आसान बनाया जाना चाहिए; और इंटरनेट का उपयोग, मोबाइल फोन और अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन लंबे समय में यह काम नहीं करेगा। स्कूलों को हमारे अपने समुदायों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसे कि '**विद्यागामा**' कार्यक्रम के तहत कुछ समय के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था। अगर हमें पढ़ाई करने के लिए मदद नहीं मिली, तो हममें से ज़्यादा लोग पूरी तरह से स्कूल छोड़ देंगे और पूरे समय काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
- स्थानीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी युवाओं को हमारे पास उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी हो - शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए - और हमें ऐसा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए अवसरों तक पहुँचने में मदद करें।

हमारे युवाओं और उनके परिवारों के लिए आजीविका-

- विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वयस्कों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होने चाहिए जो कि स्थिर हैं और कम से कम हमारी सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वेतन प्रदान करते हैं - ताकि हमारे परिवारों में बच्चों को अपना जीवन व्यापन के लिए काम करने के लिए मजबूर न होना पड़े।
- COVID के कारण, हममें से कई ने शहरों में नौकरी खो दी। हम अब गाँवों में वापस आ गए हैं, लेकिन बिना किसी काम के। हमारे परिवारों को नौकरियों की सख्त जरूरत है।
- हमारे परिवार हस्तशिल्प और घर-आधारित उत्पादों का उत्पादन करते हैं। सरकार उनके विपणन और बिक्री का समर्थन करना चाहिए - जिससे हमारे परिवारों और हमारे पूरे समुदाय को मदद मिलेगी।
- गरीबी हममें से कई लोगों को कम आयु में काम करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए, सरकार के पास गरीबी दूर करने के लिए कई कार्यक्रम होने चाहिए ताकि हममें से जो शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकें।
- कुछ परिवारों में, बच्चे और माता-पिता दोनों काम कर रहे हैं, फिर भी आय पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी और कम वेतन की समस्या से तुरंत और लगातार निपटा जाना चाहिए। हमारे वयस्कों को अच्छी नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए जिससे परिवार के पास पर्याप्त आय उत्पन्न हो ताकि गुज़ारा आसानी से हो पाए|

- काउंसलिंग माता-पिता को प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे युवा लोगों को काम करने के लिए मजबूर न करे, अगर वे अध्ययन जारी रखने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं।

विमुक्त जनजातीय समुदायों (DNT) के बच्चों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट मांग[3] -

- हममें से जो विमुक्त जनजातियों से हैं और वह जो सड़कों पर रहते हैं, वे पुलिस उत्पीड़न से बेहद परेशान हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पुलिस कर्मी हमसे पैसे वसूलते हैं और जो हमारी तरफ हिंसक हैं, उन्हें दंडित किया जाए। ऐसे उत्पीड़न से गुजरने वाले सभी बच्चों को पुलिस से पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए।
- पुलिस विभाग के पास हमारी शिकायतों के लिए एक अलग DNT Cell होना चाहिए। पुलिस के जवान को कभी भी जेजे एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; जब उन्हें किसी आशंकित बच्चों को कानून के विरोध में होने का संदेह है। हमें हमारी DNT पहचान के कारण भेदभाव करने से सख्ती से रोका जाना चाहिए।
- उन पुलिस थानों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में हैं हमारे पारधी / कंजर और अन्य विमुक्त जनजातीय समुदायों समूहों की बस्तियाँ।
- समाज में विमुक्त जनजातीय समुदायों के बारे में सकारात्मक संदेश भेजे जाने चाहिए ताकि हमारी गरिमा बनी रहे। हम DNT की नकारात्मक छवि जो वर्तमान में मीडिया में है, वह नहीं और नहीं फैल नि चाहिए । यहां तक कि अगर हमारे समुदाय के कुछ सदस्यों को पकड़ा जाता है, तो अखबारों में उन्हें 'कंजर गिरोह' या 'पारधी गिरोह' के रूप में संदर्भित करता है, जो हमारे पूरे समुदाय को दर्शाता है! यह हमारे समुदाय के खिलाफ घोर भेदभाव और हमारी बदनामी है।

- विमुक्त जनजातीय समुदाय जो घरों में शराब बनाते हैं उन्हें लाइसेंस दिया जाना चाहिए और इस कार्य के कारण पुलिस द्वारा उन्हें उत्पीड़ित और शोषित नहीं किया जाना चाहिए।

- हमारे माता-पिता को उनके पास पहले से मौजूद कौशल के आधार पर काम दिया जाना चाहिए।

---

[3] विमुक्त जनजातियाँ उन 150+ समुदायों का उल्लेख करती हैं जिन्हें 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस अधिनियम ने माना कि आपराधिक वंशानुगत था, और कई समुदायों को इस अधिनियम की तह में लाया गया था। अपने व्यापारों के एकाधिकार में ब्रिटिश हित। अधिनियम 1952 में निरस्त कर दिया गया था लेकिन ब्रांडिंग और कलंक बना हुआ है।

- हमारे समुदाय के भीतर कचरा बीनने के कम से जुड़े व्यक्तियों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कौशल उन्नयन के साथ नगर निगम में नौकरी दी जा सकती है।
- विमुक्त जनजातीय समुदायों से सभी बच्चों को DNT जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए ताकि हम उन अवसरों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हम हकदार हैं।
- हमारे समुदाय में शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति में एक पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए| जिससे भरी बाल श्रम पर एवं बच्चों की आयु निर्भरता पर रोक लग सके|
- DNT विभाग / शिक्षा विभाग द्वारा संचालित DNT छात्रावास में होने वाले दुर्व्यवहार और भेदभाव को रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

- हमारी बस्तियों के लिए ढांचागत सुविधाओं की सचेत रूप से योजना बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोगों के पास पानी की सुविधा नहीं है और नहीं ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ है|

स्वास्थ्य-

- हमारे समुदायों में अच्छी स्वास्थ्य देखभाल और सुविधाओं का अभाव है। सरकार को यह हमारे लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
- सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए की हमारे सुरक्षित कार्य वातावरण के एक भाग के रूप में हमें नियमित रूप से चिकित्सा बीमा और समय अनुसार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।
- COVID के दौरान, अच्छे सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा और COVID-19 - के संक्रमित हमारे समुदायों के लोगो को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल डिस्टन्सिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और छोटे बच्चों सहित सभी के लिए मास्क और सैनिटाइज़र जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- किशोरियों को अच्छा पोषण, स्वास्थ्य सहायता या परामर्श प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हैं। उन्हें सभी समुदायों में उपलब्ध करना चाहिए| युवा किशोरियों के लिए परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए जो युवावस्था से गुजर रहे हैं और युवावस्था के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व और यौवन के साथ आने वाली भावनात्मक उथल-पुथल होने पर मार्गदर्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सेनेटरी नैपकिन मासिक धर्म किशोर लड़कियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- हममें से कुछ लोग तंबाकू और शराब के दुरुपयोग से नशा मुक्ति और विषहरण के लिए भी समर्थन चाहते हैं। हमारे समुदायों में वयस्कों के लिए भी यह आवश्यक है। इसके समर्थन में, परामर्श और अस्पताल सेवाएं मुफ्त दी जानी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा-

- ❖ स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्यान्ह भोजन की सुविधा प्राप्त होती है। यदि वह नहीं दिया जा सकता है, तो उन्हें सूखे राशन दिए जाते है। कामकाजी बच्चों और किशोरों को दोपहर का भोजन प्राप्त कराने की सुविधा मिलनी चाहिए।
- ❖ हमारे परिवारों को दी जाने वाली राशन की आपूर्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। आपूर्ति की मात्रा और दी गई सामग्री दोनों को बढ़ाया जाना चाहिए। हमें राशन देने के लिए बायोमेट्रिक पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। कभी-कभी तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक में अंगूठे/उंगली का मेल नहीं हो पाता है और जिसके कारण हमें राशन नहीं दिया जाता है जिसकी हमें अति आवश्यकता होती है।
- ❖ आवास के लिए किश्तो को माफ किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान में हम भोजन का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं हैं।
- ❖ सरकार को कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित किशोरियों को पूरक पोषण और पर्याप्त चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को सभी किशोरियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना चाहिए।
- ❖ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम हो।
- ❖ हमारे वरिष्ठ नागरिकों, एकल माता-पिता और विधवाओं के लिए, सरकार को मुफ्त राशन, पर्याप्त पेंशन, के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त में प्रदान करना चाहिए।
- ❖ COVID की वजह से शहरों में नौकरी गंवाने के बाद हममें से कई लोग अपने गांवों में वापस आ गए हैं। हमें प्रायोजन और अतिरिक्त राशन की आवश्यकता है ताकि हमारे विस्तारित परिवार हमारी वजह से बोझ न महसूस करे।

नकारात्मक सामाजिक प्रथाओं-

- ❖ सरकार को हमारे समुदायों में शराब की अवैध बिक्री को रोकना चाहिए। इससे महिलाओं और बच्चों का दुरुपयोग बढ़ता है, समुदाय में शराब का दुरुपयोग बढ़ता है, और अधिक संख्या में शराब के दुरुपयोग की ओर अग्रसर होती है।
- ❖ सरकार को कामकाजी बच्चों, किशोरों और सड़कों पर रहने वाले और काम करने वाले बच्चों के बीच नशे मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। मदद की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जो ड्रग्स को समस्याओं का सामना करने का तरीका मानते हैं।
- ❖ आदर्श विवाह कार्यक्रम[4] (आदर्श विवाह कार्यक्रम) में विवाह के कानूनी उम्र से परे विवाह करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन देने की योजना है; जो सभी जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम के तहत युवा जोड़े को सरकार द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और कम उम्र के विवाह की घटनाओं को कम करेगा। स्थानीय सरकार द्वारा अपने संबंधित पंचायतों / वार्डों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि युवा इससे लाभान्वित हो सकें।

शासन-

- ❖ हम, बच्चों और किशोरों को 'आज के नागरिक' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- ❖ सरकार को केवल कानूनों को बदलने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय, इसे बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन वास्तविकताओं को बदलने पर ध्यान देना चाहिए।

- ❖ चुनाव के दौरान, उम्मीदवार पैसे देते हैं और वोट मांगते हैं। जनता को हमेशा यह पता नहीं होता है कि उम्मीदवार सक्षम है या जिम्मेदार। उम्मीदवारों की विश्वसनीयता, उनकी क्षमता और कर्तव्यों के बारे में मतदाता जागरूकता सभी मतदाताओं को दी जानी चाहिए। इससे उन्हें जिम्मेदारी से मतदान करने में मदद मिलेगी।
- ❖ सरकार को हमारे जैसे युवाओं को अपने मुद्दों को उठाने के लिए मीडिया, अखबार और अन्य माध्यमों जैसे कई माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ता-

बच्चों / किशोरों के संघ का नाम	**द्वारा प्रस्तुत**	**सुविधा देने वाला संगठन**	**क्षेत्राधिकार, राज्य**	**संपर्क की जानकारी**
महिला कल्याण संघ	आरति मेघवाल	महिला जन अधिकार समिति (MJAS)	अजमेर, राजस्थान	करुना फिलिप 8890870412
तरुण सेना	अस्मिता	शैशव	भावनगर, गुजरात	पारुल शेठ 9725030123
भीम संघ	दीपा, फातिमाबी और सुधा	द कंसर्नटेड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन (सीडब्ल्यूसी)	बेल्लारी, कर्नाटक	कविता रत्ना 944890080
विद्याल वणाविल	रोहित सक्ती	सक्ति - विद्याल	मदुरै, तमिलनाडु	डॉक्टर जिम जेसुडोस 9443335630
आजाद जुगनू क्लब	अरिन, सुमन, मंजना, श्रुति और कुलदिश के साथ महफूज	मुस्कान	भोपाल, मध्य प्रदेश	शिवानी 9425600382

प्राजक'स यूत कलेक्टिव	प्रीतम मौंडल	प्रजाक	मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	बिदिशा रे चौधरी 9874337456
बालक नामा	किशन	चाइल्डहुड एनहॅन्स्मेंट थ्रू ट्रैनिंग आंड आक्षन (CHETNA)	नई दिल्ली	इरम नाज़ 9711670156
बाल अधिकार संघर्ष संघटन (BASS),	प्रथ्मेश काले	यूत फॉर यूनिटी आंड वॉलंटरी आक्षन (YUVA)	मुंबई, महाराष्ट्र	अलिसिया तौरो 9892459833